न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 71/2017 **दायरा दिनांक : 02.05.2017**

उनवान

1— भागीरथ उर्फ भगरी पुत्र कडोरी, आयु 55 साल, जाति सहरिया, निवासी ढिकवानी, तहसील शाहबाद, जिला बारां

2— राजू पुत्र भगरी, आयु 30 साल, जाति सहरिया, निवासी ढिकवानी, तहसील शाहबाद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— राजेश पुत्र रामकिशन आयु 40 साल, जाति किराड, निवासी ढिकवानी, तहसील शाहबाद, जिला बारां

2— देवकली पत्नी राजेश आयु 38 साल, जाति किराड, निवासी ढिकवानी, तहसील शाहबाद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री मदन लाल गालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 05.04.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के प्रकरण संख्या – 44/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण ने अपीलांटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया व कथन किया कि ग्राम ढिकवानी, तहसील शाहबाद में वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 487/3 रकबा 6 बीघा स्थित है । प्रतिवादीगण ने गत वर्ष मुनाफे पर ली थी परन्तु आराजी से कब्जा छोडने से इंकार किया है । प्रतिवादी को इस पर अवैध रूप से कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है । अतः उन्हें बेदखल कर कब्जा वादी को संभलाया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22. 12.2016 से दावा वादी डिक्री किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि प्रतिवादी ने अधीनस्थ न्यायालय में काउंटर क्लेम पेश किया था और यह कथन किया था कि उनके खाते एवं कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 479/1 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा आराजी ग्राम ढिकवाली में स्थित है जिस पर वादी जबरन कब्जा करना चाहता है । अतः उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखली का आदेश पारित किये बिना स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया है । अपीलांट आवंटनशुदा आराजी पर काबिज काश्त है । आवंटन से लेकर आज तक वादी ने काश्त नहीं की है । वादग्रस्त आराजी अपीलांट को आवंटित भूमि है जिसको अपीलांट ने काबिल काश्त बनाया है । अपीलांट का अपने खाते में वर्णित भूमि से अधिक पर कब्जा नहीं है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 07.02.2017 को होने पर नकल के लिए आवेदन किया उसके बाद अपीलांट मियादी बुखार एवं पीलिया से पीडित हो गया । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी ने बेदखली का दावा पेश किया है और अधीनस्थ न्यायालय ने उनका कब्जा मानकर स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की है । अपीलांट का काउंटर क्लेम है जिस पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है । तनकीयात का हवाला नहीं दिया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि रेस्पोडेंट के खाते की आराजी के बाबत निर्णय पारित किया गया है । दावे को प्रतिवादी ने अस्वीकार नहीं किया है इसलिए तनकीयात की आर्डर 14 नियम 1 के अनुसार आवश्यकता नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी के दावे के जवाब में प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश किया गया है जिसका जवाबुलजवाब भी वादी ने पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 3 तनकीयात कायम की गई है जो पृष्ठ संख्या 28 पर पत्रावली में सलंग्न है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया है जबकि सी पी सी की पालना में तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम की गई तनकीयात में से प्रत्येक तनकी की साक्ष्य के आधार पर विवेचना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.06.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा